<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./4965/2004/हनुमानगढ</u>

1. गणपत पुत्र ईशर जाति जाट
2. गोपाल पुत्र मूलाराम जाति कलाल समस्त निवासी ग्राम चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेन्ट

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री मोडू दान देथा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर राजकीय अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः27.3.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी राज्य सरकार के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से

जबाब पेश होने पर विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल छ तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 24–3–03 से वाद वादीगण खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 24–7–2004 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 184,185 अपीलार्थीगण के पिता ईसर व मूला की 70–80वर्ष पूर्व निकाली गई पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है तथा उक्त दोनों खेत चिपते हुये सीमा जोड खेत हैं। इनके मध्य कोई रकबा मौके पर एवं राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ नहीं है। इसके बाबजूद बन्दोबस्त के दौरान भू प्रबन्ध विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 218,219 एवं 220 कायम करते हुये हाल खसरा नम्बर 218,220 के मध्य हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 2 बीघा 4विस्वा को जोहड पायतन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शे में दर्ज कर दिया। जबकि जोहड पायतन भूमि एवं अपीलार्थीगण के उक्त खातेदारी के खेतों के मध्य समस्त चक देई दासपुरा की रहवासी आवादी बसी हुई है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग को वादीगण के खातेदारी के खेत हाल खसरा नम्बर 219 को जोहड पायतन दर्ज करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं था। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो आक्षेपित निर्णय पारित किये

हैं वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बर 185 रकबा 9बीघा 10 विस्वा भूमि को हाल खसरा नम्बर 218 में 9बीघा 10विस्वा पर ही पैमूद किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 142/184 की 17बीघा 2 विस्वा साबिका खसरा नम्बर की भूमि को हाल खसरा नम्बर 220 में 17बीघा 2 विस्वा पर पैमूद किया गया है। उक्त भूमि इसी मुताबिक अपीलार्थीगण के नाम दर्ज है। अपीलार्थी अपने हक से अधिक की भूमि की मांग कर सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं जो विधिसम्मत नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1से प्रदर्श–13 पेश किये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार जिस भूमि के बाबत अपीलार्थीगण वादीगण क्लेम कर रहे हैं वह जोहड पायतन की भूमि है तथा बन्दोबस्त विभाग ने भी मौके की स्थिति के अनुसार ही राजस्व अभिलेख में अंकन किया है। उक्त आराजी वृक्षारोपण के लिये वन विभाग को आवंटित भूमि है। अपीलार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की पूरी भूमि है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के

अनुसार अपीलार्थीगण के नाम पुराने खसरा नम्बर 185 में 9बीघा 10विस्वा तथा 142 व 184 में 17बीघा 2विस्वा भूमि अंकित है। यह भूमि क्रमशः नये खसरा नम्बर 218 में 9बीघा 10विस्वा तथा 220 में 17बीघा 2विस्वा पर पैमूद हुई है। उक्त दोनों भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 219 की 2बीघा 4विस्वा भूमि अधिक क्लेम करने का कोई आधार अपीलार्थीगण ने नहीं बताया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादग्रस्त आराजी को जोहड पायतन राजस्व अभिलेख में दर्ज होना मानते हुये वर्तमान में वन विभाग को वृक्षारोपण के लिये आरक्षित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष से हम सहमत हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलाथीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य